संख्या: 40/2017/ 2742/12-2-2017-18/2017

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2017

विषय: प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2017-18 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस-कैम्प 47/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2017-18 दिनांक 02 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या- 81 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र में उप योजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान योजनान्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) की स्वीकृति नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

3. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके तत्काल आवश्यकता होने पर ही फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक में जमा नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या- 81 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र में उप योजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान योजनान्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

8. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

10. ये आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या- 340(1)/ ई-1-2017 दिनांक 05 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: 40/2017/ 2742 (1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाईल।
8. बजट प्रकोष्ठ (समाज कल्याण), उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 40/2017/2742/12-2-2017-18/2017 दिनांक 05 अगस्त, 2017 का संलग्नक

विषय	विवरण
लेखाशीर्षक/योजना का नाम	अनुदान संख्या- 81 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र में उप योजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान
वित्त पोषण	शतप्रतिशत राज्य पोषित
योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का विवरण संक्षेप में	प्रदेश के सभी लघु व सीमान्त कृषकों को 31 मार्च, 2016 तक लिए गए फसली ऋणों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके द्वारा किए गए प्रतिभुगतान को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष ऋण की धनराशि रूपये 100000;00 लाख (रूपये एक लाख) की सीमा तक माफ करने का निर्णय लिया गया है।
नियोजन विभाग/व्यय वित्त समिति/भारत सरकार/मा0 मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य योजना परियोजना अवधि लागत तथा बैठक एवं पत्र जिसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित।
परिव्यय/राज्यांश	रूपये 100.00 लाख
केन्द्र पोषित योजना की स्थिति में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु पुनवैध/अवमुक्त केन्द्रांश भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित	-
केन्द्रांश के सापेक्ष जारी की जा सकने योग्य धनराशि	-
योजना हेतु वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान	रूपये 100.00 लाख
पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृतियॉ तथा	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय की धनराशि	
चालू योजना की स्थिति में गत वर्ष जारी धनराशि तथा व्यय का विवरण	-
प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति का मदवार विवरण	
मानक मद	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रूपये 100.00 लाख
योग:	रूपये 100.00 लाख

(रूपये सौ करोड मात्र)

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।